राष्ट्रपति की शक्तियां

प्रशासनिक शक्ति

- राष्ट्रपति प्रशासन का औपचारिक प्रमुख होता है। संघ के सभी कार्यकारी कार्यों को राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है. (सन्दर्भ: अनुच्छेद 77)
- राष्ट्रपति के पास UPSC के अध्यक्ष और सदस्य सहित उच्च गणमान्य व्यक्तियों को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति होगी
  - भारत के प्रधान मंत्री
  - संघ के अन्य मंत्री
  - भारत के महान्यायवादी
  - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
  - राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश।
  - भारतीय राजदूत और अन्य राजनयिक

सेना शक्ति

रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन संसद ऐसी शक्तियों के अभ्यास को नियंत्रित कर सकती है. (सन्दर्भ: अनुच्छेद 53 (2))

राजनयिक शक्ति

- राष्ट्रपति को संसद द्वारा अनुसमर्थन के अधीन, अपने मंत्रियों की सलाह पर अन्य देशों के साथ संधियों और समझौतों पर बातचीत करने का अधिकार है।
- भारत का राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, भारतीय प्रतिनिधियों को अन्य देशों में नियुक्त करता है और अन्य राज्यों के राजनयिक प्रतिनिधि प्राप्त करता है.

वैधानिक शक्ति:

- राष्ट्रपति के पास संसद के सदनों को बुलाने या उनका प्रचार करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति है. {सन्दर्भ : अनुच्छेद 85}
- उनके बीच गतिरोध के मामले में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की भी शक्ति है {सन्दर्भ : अनुच्छेद 108}
- राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है, लोकसभा के आम चुनाव के बाद पहले सत्र में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में.
- राज्य सभा में 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तिय राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं {सन्दर्भ : अनुच्छेद 80(1)}
- राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद ही कोई विधेयक भारतीय संसद का अधिनियम बन सकता है.
- भारतीय राष्ट्रपति की वीटो शक्ति निरपेक्ष, संदेहास्पद और पॉकेट वीटो का एक संयोजन है

क्षमा शक्ति:

- क्षमा याचना (निरस्त या रद्द) दोनों सजा और दोषसिद्धि है और अपराधी को सभी दंड और अयोग्यता से मुक्त करती है
- कम्यूटेशन केवल एक अन्य हल्के चरित्र के लिए सजा के एक रूप को प्रतिस्थापित करता है। अपने चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा कम हो जाती है।
- पुनर्विचार का अर्थ है महिला अपराधी आदि की गर्भावस्था के मद्देनजर निर्धारित दंड के बजाय कम सजा देना.
- दंड-निलंबन का अर्थ है किसी सजा के क्रियान्वयन का ठहराव, उदाहरण के लिए क्षमा या प्रतिवाद की कार्यवाही लंबित.

आपातकालीन शक्ति:

- आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति के पास असाधारण शक्तियाँ हैं.

भारत के राष्ट्रपतियों की सूची

S. no.	नाम	समय अवधि
1.	डॉ राजेंद्र प्रसाद (1884 - 1963)	26 जनवरी, 1950 – 13 मई , 1962
2.	डॉ एस राधाकृष्णन (1888 - 1975)	13 मई, 1962 – 13 मई, 1967
3.	डॉ ज़ाकिर हुसैन (1897 - 1969)	13 मई, 1967 – 03 मई, 1969
4.	श्री वी.वी. गिरि (1894 - 1980)	24 अगस्त, 1969 – 24 अगस्त, 1974
5.	डॉ फखरुद्दीन अली अहमद (1905 - 1977)	24 अगस्त, 1974 – 11 फरवरी, 1977
6.	श्री एन संजीव रेड्डी (1913 -1996)	25 जुलाई, 1977 – 25 जुलाई, 1982
7.	ज्ञानी जैल सिंह (1916 - 1994)	25 जुलाई, 1982 – 25 जुलाई, 1987
8.	श्री आर वेंकटरमन (1910 - 2009)	25 जुलाई, 1987 – 25 जुलाई, 1992
9.	डॉ शंकर दयाल शर्मा (1918 - 1999)	25 जुलाई, 1992 – 25 जुलाई, 1997
10.	श्री के.आर. नारायणन (1920 - 2005)	25 जुलाई, 1997 – 25 जुलाई, 2002
11.	डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम (1931 - 2015)	25 जुलाई, 2002 – 25 जुलाई, 2007
12.	श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल (बी 1934)	25 जुलाई, 2007 – 25 जुलाई, 2012
13.	श्री प्रणब मुखर्जी (बी 1935)	25 जुलाई, 2012 – 25 जुलाई, 2017
14.	श्री राम नाथ कोविंद (बी 1945)	25 जुलाई, 2017 -